



सत्यमेव जयते

निर्वाचन आवश्यक / ई-मेल

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या 1254/रा0नि0आ0-2/2912/2020 देहरादून दिनांक 10 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के पाँच वर्ष के कार्यकाल की नियत अवधि माह मार्च, 2021 में समाप्त हो रही है। जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन की पूर्ण सूचना आयोग में दिनांक 09.03.2021 को प्राप्त होने के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन यथाशीघ्र सम्पन्न कराये जाने हैं, जिस हेतु जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार एतद्वारा विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश देता हूँ:-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण, 2021 हेतु कार्यक्रम

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1-(क) क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति।	12.03.2021	01 दिन
(ख) ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।	15.03.2021 से 16.03.2021	02 दिन
(ग) कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराना।	17.03.2021 से 19.03.2021	02 दिन
2-संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना।	20.03.2021 से 03.04.2021	15 दिन

क्रमशः...2

3-प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करना।	05.04.2021 से 07.04.2021	03 दिन
4-प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	08.04.2021 से 09.04.2021	02 दिन
5-प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना।	12.04.2021 से 01.05.2021	20 दिन
6- प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	03.05.2021 से 04.05.2021	02 दिन
7- निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन।	05.05.2021	-
8- निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना।	06.05.2021 से 12.05.2021	07 दिन
9-प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना।	13.05.2021 से 19.05.2021	07 दिन
10-पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करना।	20.05.2021 से 22.05.2021	03 दिन
11-पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना।	24.05.2021	01 दिन
12-पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना।	25.05.2021 से 28.05.2021	04 दिन
13-तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना।	29.05.2021	01 दिन
14-निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	31.05.2021	-

2. दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय-वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

3. निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2021 निर्धारित की जाती है अर्थात् पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जिन्होंने 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों।




4. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में सर्व-साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा।

5. निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

6. वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करना होगा:-

- (1) अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा।
- (2) कार्य स्थल पर फेस मास्क लगाए रखना होगा।
- (3) घर के मुखिया अथवा वरिष्ठ सदस्य से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी।
- (4) अनावश्यक भीड़ इकठ्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा।
- (5) सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा।
- (6) कार्मिक कन्टेनमेंट जोन में नहीं जायेंगे। कन्टेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा।
- (7) यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पॉजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।


(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 125-4 /रा0नि0आ0अनु-2/2912/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित किं कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
7. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
8. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

//4//

9. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, जनपद हरिद्वार।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं०)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
11. निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।



(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।